न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– *श्री रेनू मीना आर. ए. एस.*

अपील सं0	तारीख रजू	तारीख निर्णय
5/11/19	21.08.2019	22.10.2019

उनवान

1. अलीमोहम्मद पुत्र स्व0 श्री नूरमोहम्मद जाति मेव निवासी ग्राम जखोपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

................अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत बीजवा पंचायत समिति रामगढ जिला अलवर।

...............असल रेस्पाडेन्ट

2. रूजदार पुत्र स्व0 श्री नूरमोहम्मद जाति मेव
3. असरू पुत्र स्व0 श्री नूर मोहम्मद जाति मेव
4. श्योकत पुत्र स्व0 श्री नूरमोहम्मद जाति मेव निवासियान ग्रांम जखोपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....................तरतीबी रेस्पा0

(अपील अर्न्तगत धारा 75 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम, विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत बीजवा ग्राम जखोपुर दिनांक 20.07.2001, ई0 नं0 217)

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री चरणजीत सिंह एडवोकेट– अपीलान्ट

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम अलीमोहम्मद पुत्र स्व0 नूरमोहम्मद है ना कि लियाकत पुत्र स्व0 नूरमोहम्मद। वास्तविक नाम की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज जिनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, इत्यादि शामिल है। मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पा0 सं0 2 ला0 4 के पिता श्री नूरमोहम्मद पुत्र बुध सिंह के खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा नम्बर 79 रकबा 15 बिस्वा, 357 रकबा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 91 रकबा 0.19, 383 रकबा 0.

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Generated by CamScanner

03, 384 रकबा 0.17 हैक्0 कुल किता 3 रकबा 0.39 हैक्0 वाके ग्राम जखोपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। जिनका देहान्त हो चुका है जिनका विरासत इन्तकाल सं0 217 दिनांक 20.07.2001 को मृतक नूरमोहम्मद के वारिसान के हक में असल रेस्पा0 द्वारा स्वीकृत किया गया। मृतक नूरमोहम्मद के वारिसों में मिन अपीलान्ट का नाम अलीमोहम्मद दर्ज ना कर लियाकत अंकित कर दिया गया जबकि मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम अलीमोहम्मद अंकित किया जाना चाहिए था। इस बाबत बाद जानकारी यह अपील पेश की गई। तहत अदालत द्वारा बिना जांच किये, बिना सुनवाई किये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत व विधि विरूद्ध आलौच्य आदेश दिनांक 20.07.2001 मिन अपीलान्ट के त्रुटिपूर्वक दर्ज नाम की हद तक काबिले अपास्त योग्य है। उक्त विरासत इन्तकाल में मिन अपीलान्ट का नाम लियाकत पुत्र नूरमोहम्मद दर्ज किया गया है जबकि मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम अलीमोहम्मद पुत्र नूरमोहम्मद है। यही नाम मिन अपीलान्ट विरासत इन्तकाल में दर्ज किया जाना चाहिए था इसके अभाव में मिन अपीलान्ट को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इसलिए विरासत इन्तकाल उक्त हद तक संशोधित किया जाना आवश्यक है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत ग्राम पंचायत बीजवा तहसील रामगढ जिला अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.2001 बाबत विरासत इन्तकाल सं0 217 वाके ग्राम जखोपुर तहसील रामगढ जिला अलवर अपास्त करते हुए विरासत इन्तकाल में मिन अपीलान्ट का दर्ज नाम लियाकत पुत्र नूरमोहम्मद के स्थान पर अलीमोहम्मद पुत्र नूरमोहम्मद दर्ज करते हुए संशोधित विरासत इन्तकाल स्वीकृत कराये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रेस्पा0 को जर्ये नोटिस रजिस्टर्ड ए0डी0 तलब किया गया। जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है। रेस्पा0 की ओर से रजि0 ए0डी के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आये। रेस्पा0 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Generated by CamScanner

अपीलान्ट ने अपील के साथ मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058, जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम जखोपुर सम्वत 2049, नामान्तरकरण सं0 217, जमाबन्दी सम्वत 2067--70 की प्रमाणित प्रति तथा अलीमोहम्मद का आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड की छायाप्रति पेश की गई।

5

अपीलान्ट के विद्वान वकील की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान वकील ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट का वास्तविक नाम अलीमोहम्मद पुत्र स्व0 नूरमोहम्मद है ना कि लियाकत पुत्र स्व0 नूरमोहम्मद। वास्तविक नाम की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज जिनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, इत्यादि शामिल है। अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पा0 सं0 2 ला0 4 के पिता श्री नूरमोहम्मद पुत्र बुध सिंह के खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा नम्बर 79 रकबा 15 बिस्वा, 357 रकबा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 91 रकबा 0.19, 383 रकबा 0.03, 384 रकबा 0.17 हैक्ट0 कुल किता 3 रकबा 0.39 हैक्ट0 वाके ग्राम जखोपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। जिनका देहान्त हो चुका है जिनका विरासत इन्तकाल सं0 217 दिनांक 20.07.2001 को मृतक नूरमोहम्मद के वारिसान के हक में असल रेस्पा0 द्वारा स्वीकृत किया गया। मृतक नूरमोहम्मद के वारिसों में अपीलान्ट का नाम अलीमोहम्मद दर्ज ना कर लियाकत अंकित कर दिया गया जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम अलीमोहम्मद अंकित किया जाना चाहिए था। तहत अदालत द्वारा बिना जांच किये, बिना सुनवाई किये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत व विधि विरूद्ध आलौच्य आदेश दिनांक 20.07.2001 अपीलान्ट के त्रुटिपूर्वक दर्ज नाम की हद तक काबिले अपास्त योग्य है। उक्त विरासत इन्तकाल में अपीलान्ट का नाम लियाकत पुत्र नूरमोहम्मद दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम अलीमोहम्मद पुत्र नूरमोहम्मद है। यही नाम अपीलान्ट विरासत इन्तकाल में दर्ज किया जाना चाहिए था। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का अध्ययन किया तथा अपीलान्ट के विद्वान वकील की बहस पर मनन करने से विदित है कि अपीलान्ट का वास्तविक नाम अलीमोहम्मद पुत्र स्व0 नूरमोहम्मद है ना कि लियाकत पुत्र स्व0

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Generated by CamScanner

नूरमोहम्मद दर्ज नाम की दुरुस्ती के लिए आवश्यक दस्तावेज जिनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि शामिल है। अपीलान्ट व गवाहों के बयान सं0 2 लगा0 4 के मिन श्री नूरमोहम्मद पुत्र बुध सिंह के खातेदारी काश्तकारी की अराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 15 हैक्टे0, 387 रकबा 12 हैक्टे0 जिसके हाल खसरा नम्बर 31 रकबा 0.19, 383 रकबा 0.03, 384 रकबा 0.17 हैक्टे0 कुल किता 3 रकबा 0.39 हैक्टे0 वाके ग्राम जखोपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। जिनका देहान्त हो चुका है जिनका विरासत इन्तकाल सं0 217 दिनांक 20.07.2001 को मृतक नूरमोहम्मद के वारिसान के हक में असल रेस्पा0 द्वारा स्वीकृत किया गया। मृतक नूरमोहम्मद के वारिसों में अपीलान्ट का नाम अलीमोहम्मद दर्ज न कर लियाकत अंकित कर दिया गया जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम अलीमोहम्मद अंकित किया जाना चाहिए था। तहत अदालत द्वारा बिना जांच किये, बिना सुनवाई किये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत व विधि विरूद्ध आलौच्य आदेश दिनांक 20.07.2001 अपीलान्ट के त्रुटिपूर्वक दर्ज नाम की हद तक अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है एवं इन्तकाल सं0 217 दिनांक 20.07.2001 ग्राम पंचायत बीजवा ग्राम जखोपुर तहसील रामगढ निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रामगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को सुनकर, विस्तृत जांच कर 20 दिवस में नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज कर पालना से अवगत करावें। निर्णय प्रति तहसीलदार रामगढ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशु मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Generated by CamScanner